Order Sheet [Contd] CaseNo700020/.16mjc Cr.P.C.

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding 21—12—16 अावेदक सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता अनावेदिका स्वंय उपस्थित प्रकरण में में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के न्यायालय से इस प्रकरण में जारी रेफर आदेश में मध्यस्थता कराकर प्रकरण को सफल कर सेटेलमेंट डीड इस न्यायलय को मेजी उभयपक्षकार आज न्यायालय में उपस्थित हैं उभयपक्षकारों से उनके मध्य हुये समझौते के संबंध में पूछा गया उन्होंने उनके बीच समझौता हो जाना तथा समझौते के अनुसार एक साथ रहना व्यक्त किया विचारोपरान्त जबिक पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही के अनुसार आपसी समझौता हो चुका है और अनावेदिका आवेदक के साथ रह रही है वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनयम का है की कार्यवाही समाप्त की जाती है परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो अपर जिला जज गोहद		CaseNo700020/.16mjc Cr.P.C	
अनावेदिका स्वयं उपस्थित । प्रकरण में में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के न्यायालय से इस प्रकरण में जारी रेफर आदेश में मध्यस्थता कराकर प्रकरण को सफल कर सेटेलमेंट डीड इस न्यायलय को भेजी । उभयपक्षकार आज न्यायालय में उपस्थित हैं । उभयपक्षकारों से उनके मध्य हुये समझोते के संबंध में पूछा गया उन्होंने उनके बीच समझौता हो जाना तथा समझोते के अनुसार एक साथ रहना व्यक्त किया । विचारोपरान्त जबिक पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही के अनुसार आपसी समझौता हो चुका है और अनावेदिका आवेदक के साथ रह रही है । वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का है की कार्यवाही समाप्त की जाती है । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
	21—12—16	अनावेदिका स्वंय उपस्थित । प्रकरण में में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के न्यायालय से इस प्रकरण में जारी रेफर आदेश में मध्यस्थता कराकर प्रकरण को सफल कर सेटेलमेंट डीड इस न्यायलय को भेजी । उभयपक्षकार आज न्यायालय में उपस्थित हैं । उभयपक्षकारों से उनके मध्य हुये समझोते के संबंध में पूछा गया उन्होंने उनके बीच समझौता हो जाना तथा समझोते के अनुसार एक साथ रहना व्यक्त किया । विचारोपरान्त जबिक पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही के अनुसार आपसी समझौता हो चुका है और अनावेदिका आवेदक के साथ रह रही है । वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का है की कार्यवाही समाप्त की जाती है । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।	